

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत राजस्व/आयोजना शाखा, नगर निगम जयपुर हैरिटेज में प्राप्त उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदनों में से निम्नानुसार भूखण्डों के उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ आमन्त्रित है:-

क्र. सं.	भू/दु. संख्या व योजना का नाम	आवेदक का नाम	क्षेत्रफल	वांछित कार्यवाही
1.	भू.सं. ई-77, सी-स्कीम, जयपुर	क्राउन प्रोपकॉन प्राईवेट लि0 जरिये डायरेक्टर श्री विजय कुमार संघेती एवं श्री राजेन्द्र कुमार संघेती पुत्रान श्री ताराचन्द संघेती	मूल भूखण्ड क्षे0 1193.56 व.ग. + भू-पट्टी क्षे0 88.36 व.ग. कुल क्षे0 1281.92 व.ग.	उपविभाजन, पुनर्गठन व नाम हस्तान्तरण
2.	भू.सं. डी-33, बनीपार्क, जयपुर	श्री रतन कंवर पत्नी स्व0 श्री भँवर सिंह जोधा श्री विक्रम सिंह शेखावत पुत्र स्व0 श्री गोरधन सिंह शेखावत श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र स्व0 श्री गोरधन सिंह शेखावत श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र स्व0 श्री गोरधन सिंह शेखावत श्रीमती आनन्द कवर पत्नी श्री नरपत सिंह राठौड़	क्षे0 241.45 व.ग. क्षे0 320.13 व.ग. 208.41 व.ग. 83.66 व.ग. 136.06 व.ग.	उपविभाजन व नाम हस्तान्तरण
3.	भू.सं. जे-115, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर	श्रीमती कमला चौरडिया पत्नी श्री डालम चौरडिया	122.77 व.ग. 133.61 व.ग.	उपविभाजन व नाम हस्तान्तरण
4.	भू.सं. सी-65, सी-स्कीम, जयपुर	श्री विक्रम कचौलिया पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण कचौलिया	1134.43 व.ग.	उपविभाजन व नाम हस्तान्तरण
5.	भू.सं. ए-28/3, बनीपार्क, जयपुर	श्रीमती तारा देवी, श्रीमती लीला देवी, ऊषा देवी, श्री विशाल जैन, श्रीमती सुमन देवी, प्रतीक जैन, श्री प्रशान्त कुमार पाटनी, श्री सुनील कुमार पाटनी, श्री आलोक कुमार पाटनी एवं श्री अमित कुमार पाटनी	2950.58 व.ग.	उपविभाजन व नाम हस्तान्तरण

अतः उक्त सूची अनुसार उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व/आयोजना) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)

उपायुक्त (राजस्व/आयोजना)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार सार्वजनिक सूचना दृष्टान्त फोन्ट साईज में आमजन में प्रचलित राज्य स्तरीय समाचार-पत्र में प्रकाशित करवाकर समाचार-पत्र की 4 (चार) प्रतियाँ इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है कि सार्वजनिक सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावें।

उपायुक्त (राजस्व/आयोजना)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज